

No.2016/HQ/Admin/RTI-359

New Delhi; 07-02-2017

Sh. Vinod Kumar Dubey,  
Vill & Post-Ghasara,  
Dist.-Auraiya, U.P.-206241,  
Mob. No.-9012332820

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।  
Providing information under the RTI Act 2005  
Ref: Your original application dated 21-01-2017 received on 31-01-2017.

The information received from the concerned office is as under:

प्राप्त उत्तर/received reply:

क्रम सं.	चाही गयी जानकारी	उपलब्ध जानकारी के सम्बन्ध में
01	टावर संख्या 308 किस गाटा संख्या में स्थित है एवं उस गाटा संख्या में टावर के प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण निर्माण प्रक्रिया के कितनी- 2 वर्गमीटर भूमि प्रभावित हुई	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यरत संस्था असोसियेटेड पावर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर टावर सं. 308, जो की गाटा सं. 1732क, ग्राम- घसारा, तहसील- बिधूना, जिला- औरैया में स्थित है। राजस्व विभाग की प्रमाणित खतौनी के आधार पर उक्त गाटा सं. श्री राम किशोर पुत्र श्री हृदय नारायण व अन्य के नाम पर दर्ज है।
02	टावर संख्या 308 निर्माण की फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रत्येक चरण वार किस किसान को कितने- कितने रुपये की चैक देकर दिया गया एवं उस पीड़ित किसान का चयन किस अधिकारी/ कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। सम्बन्धित चैकों व रिपोर्ट आख्या की छाया प्रति प्रदान करें।	उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी को अवगत कराना है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -8ब के अन्तर्गत तृतीय पक्ष होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।
03	उक्त टावर निर्माण में मुआवजे का निर्धारण करने में तहसील स्तरीय किन-2 अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा उक्त का निर्धारण किया गया। सत्यापित प्रपत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रदान करें।	

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, नई दिल्ली-110001.

(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

प्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई  
Manager/Admin/RTI



प्रेषण सं०.....  
हस्ताक्षर.....

copy/copies for information to:

CPM/Agra